संख्या-2/2023/504/A074-2022-2023-74-2002-002-1-2021

प्रेषक,

कृष्ण कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग, उ0प्र0
लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2023

बी एम-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
A074-2022-2023-74-2002-002-1-2021

विषय:- 03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय योजना के अन्तर्गत 01-वेतन मद में हो रही सम्भावित बचत से 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्तीय वर्ष
010	2851000010300 (अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय)	01 (वेतन)	17,71,60,000 रुपये सत्रह करोड़ इकहत्तर लाख साठ हजार मात्र	1,18,35,000 रुपये एक करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार मात्र	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्तीय वर्ष
010	2851000010300 (अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	1,18,35,000 रुपये एक करोड़ अठारह लाख पैंतीस हजार मात्र	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-260/सेरी0/लेखा/बजट अधि0-पुनर्विनियोग/2022-23, दिनांक 28 जुलाई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में रेशम निदेशालय के अन्तर्गत अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-01-वेतन मद में हो रही संभावित बचतों में से धनराशि रू0 118.35 लाख लाख (रूपये एक करोड अटठारह लाख पैतीस हजार मात्र) का अनुदान संख्या-10-लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- आगामी वित्तीय वर्ष में वर्तमान में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को विभागीय आवश्यकता के अनुसार रखे जाने पर निदेशक, रेशम द्वारा पुनः परीक्षण कर लिया जाये।
2- पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का व्यय आउटसोर्सिंग हेतु कार्यरत उन्हीं 87 कार्मिकों पर किया जायेगा जिस हेतु धनरशि स्वीकृत की जा रही है।
3- पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से किया जा रहा है। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का व्यय किया जाये।
4- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
5- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका व्यय चालू वित्तीय वर्ष में नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
6- बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, रेशम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7- स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
8- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मॉग की जा रही है उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 की सहमति से जारी किये जा रहें हैं। वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 द्वारा बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र हेतु आर0ई0 1-243 दिनांक 30-12-2022 को आवंटित की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5' यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कृष्ण कुमार
विशेष सचिव।

संख्याः 2/2023/504(1)/74-2-2022-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।